

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

२१-०५-२५

पत्रावली पेश हुई। डिप्टी फार अफिबक्ता अफिबक्ता  
डिप्टी फार अफिबक्ता द्वारा राजराय की पात्रना  
होना अवगत कराया। डिप्टी फार अफिबक्ता द्वारा  
राजराय पत्रावली को नोट प्रेस किया गया।  
अतः पत्रावली नोट प्रेस किए जाने से खारिज  
की जाती है। पत्रावली नम्बर ५६ कम होकर  
बाद कमील दारिबल दबतर हो।

Not Done  
Ry  
21/5/25

उपखण्ड (अफिबक्ता)  
आखरी (बन्दी)